न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2017 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 17.10.2017

श्री हीरालाल पिता परथा जी गुर्जर निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 661/2017 निर्णय दिनांक 30.03.2017

उपस्थितिः– 1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता, अपीलान्ट
2– श्री मनोहरलाल दक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसील निम्बाहेड़ा के पटवार हल्का भावलिया की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रावलिया की चरनोट आराजी नम्बर 260 रकबा 0.72 है. भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 30.03.2017 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील निम्बाहेड़ा के पटवार हल्का भावलिया की रिपोर्ट के आधार पर मौजा रावलिया की आराजी नम्बर

260 रकबा 0.72 है. पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को दिनांक 23.03.2017 को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट दिनांक 23.03.2017 को स्वयं हाजिर हुआ व उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये तथा आगामी पेशी से अवगत कराने का कहते हुए अपीलान्ट को न्यायालय से भेज दिया तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पटवार हल्का द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के संबंध में अपीलान्ट को जिरह का कोई अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा मानते हुए बेदखली व जुर्माने का दिनांक 30.03.2017 को आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 30.03.2017 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया जिसकी अपीलान्ट को दिनांक 26.09.2017 को ही जानकारी हुई तथा दिनांक 26.09.2017 को ही नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मयाद पेश है फिर भी धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा चला आ रहा है जो नियमन योग्य कब्जा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 निरस्त कर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलान्ट के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि चरनोट है। चरनोट में किये गये अतिक्रमण को नियमन योग्य नहीं पाये जाने तथा लगातार कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, अपीलार्थी के आदेशिका दिनांक 23.03.2017 पर हस्ताक्षर हो रहे हैं अपीलार्थी का कथन कि दिनांक 23.03.2017 को न्यायालय में हाजिर होने पर आगामी पेशी से अवगत कराने का कहते हुए अपीलान्ट को न्यायालय से भेज दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलान्ट ने दिनांक 30.03.2017 को पारित निर्णय की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 26.09.2017 को होने तथा अपील मे हुई देरी को धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विस्तारित कर अन्दर मयाद मानने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पर्चा मौका बेदखली एवं फसल निलामी पत्र जो कि पटवारी हल्का भावलिया द्वारा दिनांक 10.04.2017 को बेदखली एवं फसल निलामी हेतु तैयार किया गया है

उस पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हो रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को पारित निर्णय की पूर्ण जानकारी थी अतः सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.09.2017 को होने का कथन भी मानने योग्य नहीं है।

पटवारी हल्का के बयान एवं रिपोर्ट से अपीलान्ट के पश्चात्वृती/लगातार कब्जे की पुष्टि होती है। चूंकि प्रश्नगत भूमि चारागाह होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है, अपीलान्ट द्वारा 0.72 है. भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त करने से पश्चात्वृती/लगातार कब्जा पाये जाने के आधार पर तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण नियमन योग्य नहीं होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 यथावत रखा जाता है।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया।"

(इन्द्रजीत सिंह)